

अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्तु नामिक  
दिनांक 8.10.25 को पेश हो।



8.10.25

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अउपस्थित।  
प्रकरण लम्बे समय से तामिल हेतु न्ययालय  
द्वारा कक-कककर कई बार आवाजें लगावाईं गईं। वादी  
न्यायालय में दिनांक 26.3.25 से अउपस्थित हैं। वादी  
को उपस्थित होने हेतु दिनांक 26.3.25, 2.4.25, 18.6.25,  
29.9.25 को अवसर दिए गए। बावजूद इसके आज  
न्यायालय समाप्त तबु बोर्ड उपस्थित नहीं हुआ है, जितने  
जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं।  
तथा वादी अपने को चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत  
अदम हाजरी-अदम पेंरबी में खारिज किया जाता है।  
निर्णय शेरइजलास चुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार  
होकर नम्बर से कम हो।



(कबुल बोर्ड हुण)

MS